

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 166]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 अप्रैल 2016—चैत्र 16, शक 1938

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2016

अधि. क्र. 7-एफ 1-5-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् ईसागढ़, जिला अशोकनगर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

अनु.-क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों का क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	08 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 15 चंद्रशेखर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	11 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	04 लोकमान्य तिलक वार्ड 06 चित्रगुप्त वार्ड 13 इन्द्रगाँधी वार्ड 14 भगतसिंह वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	08 जवाहरलाल नेहरू वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल

(1)	(2)	(3)	(4)
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	06 चित्रगुप्त वार्ड 13 इन्द्रागाँधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	03 महात्मा गाँधी वार्ड 07 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 09 कमलानेहरू वार्ड 10 महाराणा प्रताप वार्ड 12 सरदार पटेल वार्ड.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, उपसचिव.